

डिप्टी बगुकदम ईवादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सश्रिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 294/2025

1. सुभाष पुत्र कृष्णलाल
2. महेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल
3. सुनील नैण पुत्र हनुमान
4. सुमन पत्नी सुभाष
5. रेणु पत्नी महेन्द्र कुमार
6. सुनिता पत्नी सुनील
7. राकेश कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी दौलतावाली तह.पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.0.
8. अनिल कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी दौलतावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.0.

जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील  
व जिला हनुमानगढ राज.0.

-वादीगण

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र बंशीराम जाति जाट निवासी रोडावाली तह. व जिला हनुमानगढ राज.
2. हनुमान पुत्र बंशीराम जाति जाट निवासी रोडावाली तह. व जिला हनुमानगढ राज.0.
3. बलराम पुत्र बंशीराम जाति जाट निवासी रोडावाली हाल आबाद दौलतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.0.
4. विमला देवी पुत्री बंशीराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5. विद्या देवी पुत्री बंशीराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया
7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ
8. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश वढानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक न 3 के.के.डब्ल्यू (बी) खाता स 9/11 मे वादी स 1 व 2 को 2.774 है ब.हि.ब का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का 1.353 है हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का 1.320 हिस्सा बढ़ाकर प्रति स 3 का नाम कलमजन किया जावे एव चक न 5 के.के.डब्ल्यू खाता स 18/12 मे वादी स 4 व 5 को 2.530 है ब.हि.ब का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे व चक न 9 एम.एम.के खाता स 145/18 मे वादी स 3 को 1.265 है का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 3 का 0.168 है हिस्सा कम कर प्रति स 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे एव चक न 11 एम.एम.के खाता स 19/9 मे वादी स 6 को 1.518 है का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे व जिला हनुमानगढ तहसील पीलीबंगा के चक न 2 टी 26/21 मे वादी स 7 व 8 को 3.715 है ब.हि.ब का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी स 3 का 0.742 है हिस्सा बढ़ाया जाकर प्रतिवादी स 1,2,4,5 का नाम कलमजन किया जाकर इनका निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क) वादीगण स 1 व 2 सुभाष, महेन्द्र कुमार व प्रतिवादी स 1 कृष्णलाल का ब.हि.ब हक व हिस्सा की भूमि चक न 3 के.के.डब्ल्यू (बी) खाता स 9/11


कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

नोट:- तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 4.5.6 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर एवं यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।



बसंत मेरु अस्तित्व एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.7.2022 को जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अदालत  
संगरिया